(e) if so, what are the reasons therefor?

THE FINANCE MINISTER (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) Total number of Group-'C' and 'D' posts in the Customs, Excise & Gold (Control) Appellate Tribunal are as under:—

Group-'C' posts . . .	93
Group-'D' posts . .	52
TOTAL . . .	145

(b) Posts filled by:—

(i) *direct recruitment/promotion*

Group-'C' posts . .	33
Group-'D' posts . .	51

(ii) *deputation*

Group-'C' posts . .	49
Group-'D' posts . .	Nil

(c) Number of vacancies:—

Group-'C' posts . .	11
Group-'D' posts . .	1

(d) At present there is no proposal to fill up the vacancies by deputationists.

(e) Does not arise.

महंगाई भत्ते को आयकर की सीमा से बाहर रखना

1117. **डा० अबरार अहमद खान:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान जीवन निर्वाह सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर कर रहा है ;

(ख) क्या आयकर प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों को जिसमे महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है, ध्यान में रखा जाता है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" हां तो जब महंगाई भत्तों की ऐसी किस्तों का भुगतान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों मे वृद्धि को निष्प्रभावी बनाने के लिए ही किया जाता है तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या महंगाई भत्ते की राशि को आयकर के दायरे से बाहर रखने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): (क) जी, हां ।

(ख) कुल परिलब्धियों को, जिनमें महंगाई भत्ता भी शामिल है, कर-प्रभार्य कुल आय में शामिल किया गया है । तथापि, कतिपय भत्तों, जैसे मकान किराया भत्ता, सन्तान शिक्षा भत्ता आदि को कतिपय सीमाओं के भीतर रहते हुए विशेष रूप से बाहर रखा गया है ।

(ग) महंगाई भत्ते के भुगतानों को आयकर मे छूट नहीं दी जा सकती है क्योंकि आयकर अधिनियम का उपयोग मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक आय में ह्रास के लिए करदाताओं के केवल एक निश्चित वर्ग की क्षतिपूर्ति के लिए नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, आय की इस मद को छूट दिए जाने से उन सरकारी कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, जिन पर अन्यथा आयकर नही लगता है । इसलिए, आय की इस मद पर दी गई किसी भी छूट से केवल उन कर्मचारियों को ही लाभ पहुंचेगा, जो अपेक्षाकृत उच्च आय के दायरे में आते हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।